प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित नमित मेहता आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 125/**2025** (अपील सूचना का अधिकार)
श्यामलाल काबरा, 118 श्रीनाथ इन, पुलिस थाने के सामने, एन एच 8, नाथद्वारा जिला राजसमन्द

..............**अपीलार्थी**

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कुराबड, उदयपुर

..................**प्रत्यर्थी**

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 15/09/2025

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रत्यर्थी के कार्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6)(1) के अन्तर्गत दिनांक 01.06.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु जरिये पत्रांक रीडर/सू.अ./प्रथम अपील/125/25/816–17 दिनांक 18.08.2025 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जंवाब शामिल पत्रावली किया गया।

सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कुराबड द्वारा जरिये पत्राक सू.अ.अ. /2025/849 दिनांक 10.09.2025 से प्रत्युत्तर प्रस्तुत करते हुए न्यायालय को अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन दिनांक 01.06.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं सांख्यिकी निदेशक कुराबड बेमला को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाया गया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन से क्रम संख्या 4 में अंकित बिन्दु श्रीमती कैलाश कुंवर पत्नी गोपाल सिंह जी राणावत निवासी कियावतों का फला कुराबड के मृत्यु प्रमाण पत्र संख्या 0813008250015500002/2023 की प्रति जब मेरे द्वारा ली गई उस वक्त दिए गये आवेदन की प्रति चाही गई। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी एवं सांख्यिकी निदेशक कुराबड को भिजवाया गया था उक्त आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुराबड को प्राप्त नही हुआ है। श्रीमान लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय उदयपुर के पत्र क्रमांक प.41/2/सू.अ.2005/प्रा.प्र.सं./167/772–73 दिनांक 07.08.2025 द्वारा आवेदन कार्यालय हाजा में दिनांक 01.09.2025 को प्राप्त हुआ जिसे निस्तारण हेतु विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुराबड को कार्यालय हाजा के पत्रांक सू.अ.अ. /2025/816 दिनांक 02.09.2025 को भिजवाया जा चुका है अतः प्रथम अपील निस्तारित करने की कृपा करावें।

जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार कुराबड़ द्वारा प्रेषित जवाब अनुसार अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं सांख्यिकी निदेशक, कुराबड़ को रजिस्टर्ड पत्र प्रेषित किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि उक्त पत्र सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार कुराबड़ को प्राप्त नहीं हुआ है। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा प्रेषित पत्रांक प. 41/2/सू.अ.2005/प्रा.प्र.सं./167/772–73 दिनांक 07.08.2025 सहायक लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में दिनांक 01.09.2025 को प्राप्त हुआ जिसका संबंध पंचायत समिति कार्यालय से होने से निर्धारित समयावधि में पत्रांक सू.अ./2025/816 दिनांक 02.09.2025 से विकास अधिकारी, पंचायत समिति कुराबड को अंतरित कर दिया। सहायक लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार कुराबड द्वारा प्रेषित जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपत्ति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थीया उनके प्रतिनिधि सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित प्रत्युत्तर अपीलार्थी को प्राप्त हो गया है तथा वह प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावें। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15-09-25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नमित मेहता)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर